

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

// -:आदेश:- //

क्रमांक...../स्था.वि./न.पा.नि./2018
842

रायगढ़ दिनांक 07/03/18

वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 के परंतुक (2) अनुसार ऐसे कर्मचारी जो अपने वेतन बैंड के उच्चतम पर पहुंच गया है ऐसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात आगामी उच्चतर वेतन बैंड दिया जायेगा वेतन बैंड में स्थापन के समय एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा इसके पश्चात वेतन बैंड 04 के अधिकतम स्तर तक पहुंचने तक वह निरंतर उच्चतर वेतन बैंड प्राप्त करता रहेगा का उल्लेख है ततसंबंध में नीचे उल्लेखित कर्मचारियों को उच्चतर वेतन बैंड स्वीकृत किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति दिनांक	वर्तमान वेतन बैंड	वेतन बैंड के उच्चतम पर पहुंचने का दिनांक
01	श्री कुरसो राम उराव	पंप कुली	26.02.1996	4750-7440-1300	01.07.2013
02	श्री विजय लाल यादव	पंप कुली	13.05.1985	4750-7440-1400	01.07.2011
03	श्री केहर प्रसाद माली	पंप कुली	01.04.1985	4750-7440-1300	01.07.2012
04	श्री सलीम मोहम्मद	भृत्य	22.06.1996	4750-7440-1400	01.07.2013
05	श्री घनश्याम सिंह सिदार	भृत्य	31.01.1996	4750-7440-1400	01.07.2013

Uae
आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 07/03/18

पृ.क्र. 842 / स्था.वि./न.पा.नि./2018
प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. कार्यालय अधीक्षक नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. समस्त विभाग..... नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. संबंधितको नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।

Uae
आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)